समाहरणालय, दरभंगा

(जिला स्थापना शाखा)

–: आदेश :–

अंचल अधिकारी, बहेड़ी के पत्रांक–01, दिनांक–10.09.2011 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार श्री मनोज कुमार चौधरी, तत्कालीन लिपिक, बहेड़ी अंचल के दिनांक–10.09.2011 को निगरानी विभाग द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने के पश्चात् काराधीन होने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1817/स्था0 दिनांक–19.09.2011 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 की कंडिका–9(1)(ग) के आलोक में गिरफ्तार होने की तिथि 10.09.2011 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–एस0आर0–067/11 निग0, 1711/अप0शा0, दिनांक–10.10.2011 से प्राप्त प्रतिवेदन, जो निगरानी थाना काण्ड संख्या–067/2011 दिनांक–10.09.2011 से संबंधित है, में पुलिस उपाधीक्षक –सह– धावादल प्रभारी, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, कैम्प–बहेड़ी, जिला–दरभंगा के प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना से प्राप्त अनुशंसा तथा प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों के समीक्षोपरांत धारा–7/13 (2) सह–पठित धारा–13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0–1988 में निहित प्रावधानानुसार कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1739/जि0विधि, दिनांक– 27.10.2011 के द्वारा आरोपी श्री चौधरी के विरूद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृत्यादेश निर्गत्त की गई।

उपरोक्त वर्णित आरोपों के लिए आरोपी श्री चौधरी के विरूद्ध प्रपत्र–"क" में आरोप पत्र गठित किया गया एवं कार्यालय आदेश ज्ञापांक–2504/स्था0, दिनांक–17.12.2011 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी, बहेड़ी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालन प्रारंभ किया गया।

तत्पश्चात् जमानत पर रिहा होने के फलस्वरूप श्री चौधरी के द्वारा दिनांक–19.12.11 को अंचल अधिकारी, बहेड़ी के समक्ष योगदान समर्पित किया गया, जिसकी सूचना अंचल अधिकारी, बहेड़ी के पत्रांक–1368, दिनांक–19.12.2011 से संसूचित है। न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश ज्ञापांक–2583/स्था0, दिनांक–27.12.2011 के द्वारा निलंबन अवधि में आरोपी का मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय, बेनीपुर निर्धारित किया गया।

पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग के पत्रांक–1908/अ0शा0, दिनांक–16.11.2011 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–94/2011 दिनांक–04.11.2011 माननीय न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है।

श्री मनोज कुमार चौधरी, लिपिक द्वारा दिनांक–03.07.2012 को समर्पित अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1503/स्था0, दिनांक–27.07.2012 के द्वारा आरोपी को निम्न शर्तों के साथ निलंबन मुक्त करते हुए अनुमंडल कार्यालय, बेनीपुर में पदस्थापित एवं बेनीपुर प्रखंड में प्रतिनियुक्त किया गया।

(1) निलंबन अवधि का जीवन यापन भत्ता मात्र देय होगा।

(2) संचालन पदाधिकारी/निगरानी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर प्राप्त निर्णय के अनुरूप कार्रवाई अपेक्षित होगी।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1312, दिनांक–04.09.2013 के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संपादनोपरांत प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आरोपी के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित आरोप प्रमाणित पाये गये हैं।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जॅाच प्रतिवेदन की प्रति के साथ कार्यालय ज्ञापांक–2186/स्था0, दिनांक–17.10.2013 के द्वारा दिनांक–07.11.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गयी। सुनवाई की तिथि को आरोपी कर्मी द्वारा द्वितीय स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, परन्तु अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण उक्त तिथि को सुनवाई नहीं की जा सकी। अंचल अधिकारी, बहेड़ी के द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक–145/स्था0 दिनांक–21.01.2014 के द्वारा निर्गत्त पत्र के आलोक में समर्पित संचिका एवं कागजातों के आलोक में पुनः ज्ञापांक–01मु0/स्था0, दिनांक–23.01.2014 के द्वारा आरोपी को सूचना देते हुए प्राप्त द्वितीय कारणपृच्छा पर सुनवाई हेतु दिनांक–24.01.2014 के अपराह्न 05.00 बजे सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई, जिसमें आरोपी को भी उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

द्वितीय कारणपृच्छा के आलोक में सुनवाई की निर्धारित तिथि को आरोपी अपने स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित हुए एवं उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर प्रदान किया गया। आरोपी के द्वारा जॅाच पदाधिकारी के निष्कर्षों पर असहमति जताते हुए अपने आप को निर्दोष बताया गया।

श्री चौधरी द्वारा अपने द्वितीय कारणपृच्छा में उल्लिखित किया गया है एवं सुनवाई के कम में भी बताया गया है कि–"निगरानी विभाग द्वारा जिस दुकान के अतिक्रमण वाद से संबंधित मामलें में दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हेतु रिश्वत लेने के आरोप में परिवादी से मिलकर जबरन पकड़ने का कार्य किया गया है, वह अतिक्रमण वाद से संबंधित मामला मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में (वाद संख्या–1309/2009) दायर एवं लंबित है।" आरोपी ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी उल्लिखित किया है कि "जबकि उपरोक्त वर्णित दुकान पर दखल–कब्जा कराने हेतु न तो अंचल अधिकारी, बहेड़ी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया था और न ही किसी सक्षम प्राधिकार का ही आदेश प्राप्त था तो फिर मैं एक लिपिक होकर अपने बल–बूते दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त कर कैसे दखल–कब्जा करा सकता हूँ और दखल–कब्जा हेतु रिश्वत की मांग कर सकता हूँ, जबकि दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करना मेरे कार्य क्षेत्र व अधिकार से बाहर है।"

इस प्रकार श्री चौधरी के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में बताया गया है कि अतिक्रमण वाद से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन था, ऐसे में एक लिपिक होकर अपने बल–बूते दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त कर दखल–कब्जा कराने की स्थिति में नहीं थे। परन्तु, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, बहेड़ी के कार्यालय की जिस संचिका में उक्त मामला देखा जा रहा था वह आरोपी कर्मी श्री चौधरी के प्रभार में ही था एवं उसमें तत्समय इस मामले में किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन होने का साक्ष्य नहीं था जो कि अंचल अधिकारी, बहेड़ी के प्रासंगिक सूचना ज्ञापांक–898 दिनांक–11.08.2011 के अवलोकन से भी स्वतः स्पष्ट होता है। इस प्रकार आरोपी कर्मी का यह दावा गलत है कि अतिक्रमणवाद का मामला अन्य न्यायालय में दायर होने तथा लंबित होने की वजह से वे परिवादी के हितों को प्रभावित नहीं कर सकते थे। [illegible] यह सूचना थी कि किसी अन्य न्यायालय में मामला दायर

एवं लंबित होने की वजह से आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती है तो उन्हें अंचल अधिकारी, बहेड़ी को संचिका के माध्यम से ही ससमय अवगत कराना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया तथा यह उनकी गलत मंशा को दिखाता है। जहाँ तक उनके लिपिक होकर अपने बल–बूते दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल प्रतिनियुक्त कराने में इनकी अक्षमता का प्रश्न है तो वह इसलिए स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि अंचल कार्यालय, बहेड़ी की उक्त संचिका अंचल कार्यालय, बहेड़ी के नाजिर के रूप में इनके ही प्रभार में थी तथा मामले में अंचल कार्यालय द्वारा दुकान को खाली कराने हेतु सूचना भी निर्गत्त की गयी थी।

यह भी स्पष्ट है कि उक्त मामले में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा दिनांक– 19.08.2010 को अतिक्रमण खाली कराने हेतु निर्गत्त आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, बहेड़ी द्वारा दिनांक–11.08.2011 को दुकान का अतिक्रमण खाली करने हेतु प्रतिवादी श्री विजय कुमार राय को 07 (सात) दिनों का समय देते हुए नोटीस निर्गत्त किया गया। निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण खाली नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में दुकान का अतिक्रमण खाली कराने हेतु प्रभारी लिपिक श्री चौधरी के द्वारा अंचल अधिकारी, बहेड़ी के समक्ष अग्रेतर कार्रवाई हेतु ससमय संचिका उपस्थापित करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपी द्वारा संचिका को अनुचित लाभ हेतु लंबित रखा गया एवं परिवादी से रिश्वत की मांग की गई।

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–1557/अ0शा0 दिनांक–14.09.2011 के द्वारा उक्त मामले से संबंधित सभी कागजात प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया, जो सरकार के अवर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–506 (नि0को0)/रा0 दिनांक–21.10.2011 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। पत्र के साथ प्राप्त कागजातों में परिवादी श्री संजीव कुमार राय पिता–स्व0 यदुनन्दन राय, ग्राम+पो0–बहेड़ी, जिला–दरभंगा का पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को समर्पित आवेदन पत्र दिनांक–08.09.11 भी संलग्न है। परिवादी श्री राय ने अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित किया है कि–" बहेड़ी स्थित मेरी एक दुकान बहुरानी जेनरल स्टोर्स के नाम से चल रही थी, जिसपर युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया से मेरे नाम लोन प्रदत्त है एवं दुकान जिला परिषद द्वारा मेरे नाम से आवंटित है। वर्ष 2009 में रंगदारों ने मुझसे 70,000.00 रूपये रंगदारी मांगी थी । मेरे द्वारा नहीं देने पर मेरे दुकान का लॉकर काटकर रात के 9 बजे रंगदारों ने मेरे दुकान पर कब्जा कर लिया। मेरे द्वारा स्थानीय थाना को सूचना दिया गया परन्तु कोई कार्रवाई नही होने पर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में केश नं0–1309/2009 दर्ज कराया गया जो लंबित है। उसके बाद सदर अनुमण्डल पदाधिकारी को लिखित सूचना दिया। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा ने अंचल अधिकारी, बहेड़ी श्री बिपिन कुमार राय से स्थल जॉच प्रतिवेदन भेजने को कहा। अंचल अधिकारी, बहेड़ी के जॉच प्रतिवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा दुकान अविलंब खाली कराने का निर्देश दिया गया। दुकान वापस दिलाने व सामान इन्वेन्टरी पोजीशन वापस हेतु बहेड़ी अंचल नाजिर मनोज कुमार चौधरी द्वारा मो0–10000.00 रूपये रिश्वत की मांग मुझसे किया जा रहा है। मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। अतः मेरे आवेदन पत्र पर त्वरित कार्रवाई कर अंचल नाजिर पर कार्रवाई करने की कृपा करेंगे ताकि मेरी दुकान एवं सामान शीघ्र वापस सलामत मिल सके।" परिवादी के आवेदन पत्र के आलोक में निगरानी विभाग द्वारा दिनांक– 09.09.2011 को मामले का

सत्यापन किया गया एवं रिश्वत मांगे जाने का आरोप सही पाया गया। इसके उपरांत दिनांक– 10.09.11 को निगरानी विभाग की टीम द्वारा इन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

इस प्रकार आरोपी श्री चौधरी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय कारणपृच्छा स्वीकार करने योग्य नही है।

आरोपी कर्मी के विरूद्ध गठित प्रपत्र–क के आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन, आरोपी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा एवं द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में दिनांक–24.01.14 को की गई सुनवाई, निगरानी विभाग द्वारा न्यायालय में समर्पित आरोप पत्र एवं सभी तथ्यों के अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि परिवादी श्री संजीव कुमार राय पिता–स्व0 यदुनंदन राय ग्राम+पो0– बहेड़ी, जिला–दरभंगा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आलोक में निगरानी विभाग की टीम के द्वारा आरोपी कर्मी श्री चौधरी द्वारा रिश्वत की मांग की सूचना के सत्यापनोपरांत दिनांक–10.09.2011 को 10000.00 (दस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ अंचल कार्यालय में पकड़ा गया। श्री चौधरी अंचल नाजिर के रूप में उक्त संचिका के प्रभार में थे जो कि उनके द्वारा सुनवाई के दौरान स्वीकार किया गया। आरोपी कर्मी के द्वारा दुकान अतिकमण मुक्त करवाने के लिए दण्डाधिकारी/बल की प्रतिनियुक्ति हेतु वादी संजीव कुमार राय पिता–स्व0 यदुनंदन राय ग्राम+पो0– बहेड़ी, जिला–दरभंगा से रिश्वत की मांग की गई जिसमें वे रंगे हाथ पकड़े गये। इस प्रकार आरोपी श्री चौधरी के विरूद्ध प्रपत्र–"क" में गठित आरोप स्पष्टतः प्रमाणित होता है, जो पूर्णतः कदाचार की श्रेणी में आता है तथा इनका सरकारी सेवा में बने रहना लोकहित में नहीं है। इनके द्वारा सरकारी सेवा में रहते हुए रिश्वत की मांग की गयी तथा ये रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़े गये, जो कि सरकारी सेवक आचार नियमावली एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत इन्हें अधिकतम दण्ड का भागी बनाता है एवं इन्हें मात्र अधिकतम दण्ड ही दिया जा सकता है।

अतएव सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 में निहित प्रावधानानुसार रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़े जाने संबंधी प्रमाणित आरोपों के कारण मैं कुमार रवि, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, दरभंगा श्री मनोज कुमार चौधरी, लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, बेनीपुर सम्प्रति प्रतिनियुक्त प्रखंड कार्यालय, बेनीपुर को आदेश निर्गत्त की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त (Dismiss) करता हूँ।

श्री मनोज कुमार चौधरी के संबंध में पूर्ण विवरणी

1.	नाम	:– श्री मनोज कुमार चौधरी
2.	पिता का नाम	:– स्व0 चन्द्रमोहन चौधरी
3.	पदनाम	:– लिपिक
4.	जन्म तिथि	:– 31.12.1975
5.	नियुक्ति की तिथि	:– 29.08.2000
6.	वेतनमान	:– 5200–20200, ग्रेड पे–2400
7.	स्थायी पता	:– ग्रा0–बहादुरपुर, पो0–बहादुरपुर, थाना–बहादुरपुर, दरभंगा।

ह0/–
जिला दण्डाधिकारी एवं
समाहर्त्ता, दरभंगा।

ज्ञापांक–02–17/11– 193 /स्था0, लहेरियासराय, दिनांक 27-वीं जनवरी, 2014 ।

प्रतिलिपि :– श्री मनोज कुमार चौधरी, लिपिक बेनीपुर अनुमंडल सम्प्रति प्रतिनियुक्त बेनीपुर प्रखंड, स्थायी पताः– पिता–स्व0 चन्द्रमोहन चौधरी, ग्राम+पो0+थाना–बहादुरपुर, जिला–दरभंगा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय उप समाहर्त्ता, जिला सामान्य शाखा, दरभंगा को जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा / उप कोषागार पदाधिकारी, बेनीपुर/ प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेनीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय उप समाहर्त्ता, जिला गोपनीय शाखा, दरभंगा/उप विकास आयुक्त, दरभंगा/ अपर समाहर्त्ता, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा/जिला आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राज्य गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी एवं
समाहर्त्ता, दरभंगा।